मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में गठित स्वच्छ भारत मिशन की "राज्य स्तरीय उच्चाधिकार संचालन समिति" की दशम् बैठक दिनांक 21.10.2021 का कार्यवृत्तः–

उपस्थितिः–बैठक में उपस्थित अधिकारीगण की सूची संलग्न है।

आरंभ में राज्य मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (नगरीय) एवं कार्यकारी निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (नगरीय) द्वारा मा0 समिति के समक्ष विगत नवम् बैठक में लिये गये निर्णय के संबंध में प्रस्तुतीकरण किया गया।

2– मा0 समिति को अवगत कराया गया कि विगत बैठक में मा0 समिति द्वारा लिये गये निर्णय(1) के अनुपालन में नगर विकास अनुभाग–5 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–10084/नौ–5–2021–172सा/2019, दिनांक 25.08.2021 द्वारा विषयगत क्रय समिति में निर्देशित संशोधन यथा प्रभारी अधिकारी स्थानीय निकाय से भिन्न अपर जिलाधिकारी के समकक्ष अधिशासी अधिकारी–सदस्य (जिलाधिकारी द्वारा नामित) तथा जनपद के कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी को भी सदस्य के रूप में सम्मिलित करते हुये क्रय समितियॉ पुनर्गठित कर दी गई है। निर्णय (2) के अनुपालन में राज्य स्तरीय प्रोक्योरमेंट सेल एवं राज्य स्तरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन तकनीकी सेल में व्यवहारिकता के दृष्टिगत कार्यकारी निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (नगरीय) को प्रमुख सचिव नगर विकास विभाग/मिशन निदेशक के स्थान पर अध्यक्ष पद पर नामित करने तथा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन क्षेत्र के विषय विशेषज्ञ (मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन–नगरीय द्वारा नामित) को सम्मिलित करते हुये नगर विकास अनुभाग–5 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–10083/नौ–5–2021– 172सा/2019, दिनांक 25.08.2021 द्वारा पुनर्गठित कर दी गई है। मा0 समिति द्वारा उक्त समितियों से अपेक्षित/आवश्यक निर्णय शीघ्रता से कराये जाने की अपेक्षा की गई है। निर्णय (3) के अनुपालन में प्रोसेसिंग प्लांट हेतु 20 नगरीय निकायों की डी0पी0आर0 के विषयगत पी0एफ0ए0डी0 एवं वित्त–विभाग से सहमति प्राप्त कर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत कर दी गई है। निर्णय (4) के अनुपालन में लिगेसी वेस्ट निस्तारण हेतु 25 नगरीय निकायों की डी0पी0आर0 गठित करने एवं वेटिंग की कार्यवाही प्रक्रियाधीन होने के विषयगत मा0 समिति को अवगत कराया गया ।

समिति द्वारा नवम् बैठक दिनांक 02.06.2021 में लिये गये निर्णय/अनुपालन व तत्क्रम में प्रस्तुत की गई स्थिति को संज्ञान में लेते हुए निर्देशित किया गया कि कार्यकारी निदेशक शीघ्र उक्त समितियों की बैठक आहूत करें।

3– मा0 समिति के समक्ष 14 नगरीय निकायों के विषयगत ठोस अपशिष्ट प्रोसेसिंग प्लांट के संबंध में प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा यह तथ्य संज्ञान में लाया गया कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली–2016 एवं समय–समय पर मा0 एन0जी0टी0 द्वारा निर्गत आदेशों तथा प्रदेश की नगरीय निकायों में जनित होने वाले कूड़े की कुल मात्रा 14468 टन प्रतिदिन के सापेक्ष 5475 प्रतिदिन के प्रसंस्करण की सुविधा विद्यमान एवं संचालित है।

उपर्युक्तानुसार शेष ऐसी निकाय जहॉ जनित्र होने वाले कूड़े की कुल मात्रा न्यूनतम 40 टन प्रतिदिन या उससे अधिक है, में वैज्ञानिक विधि से प्रसंस्करण की सुविधा स्थापित किये जाने की

आवश्यकता है। जिसके क्रम में 37 नये प्रोसेसिंग प्लांट एवं पूर्व की योजनाओं में स्वीकृत विभिन्न स्थानों पर लगने वाले प्रोसेसिंग प्लांट जोकि कतिपय कारणों से संचालित/स्थापित नहीं किये जा सके, को क्रियाशील बनाये जाने हेतु नगर विकास विभाग द्वारा नामित कार्यदायी संस्था सी0एण्डडी0एस0, उ0प्र0 जल निगम द्वारा कार्यवाही करायी जा रही है। तद्नुसार 20 नगरीय निकायों की डी0पी0आर0 मा0 समिति द्वारा स्वीकृति के पश्चात् वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति निर्गत की जा चुकी है। राज्य मिशन निदेशक द्वारा मा0 समिति को यह अवगत कराया गया कि नवीन प्लांटों के विषयगत तीन चरणों में कार्य किया जाएगा। जिसके अन्तर्गत प्रथम चरण में प्लांटों की स्थापना हेतु सी0पी0एच0ई0ई0ओ0 मैनुअल के अनुसार आवश्यक सिविल इन्फ्रास्ट्रक्चर की विस्तृत कार्ययोजना मा0 समिति के समक्ष प्रस्तुत की गयी है। अन्य 14 नगरीय निकायों हेतु प्रोसेसिंग प्लांट निर्माण कार्य कराये जाने के संबंध में सी0एण्डडी0एस0, उ0प्र0 जल निगम द्वारा बनायी गई डी0पी0आर0 जिसे क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र लखनऊ द्वारा पुनरीक्षण किया गया है, का प्रस्ताव निम्नवत् प्रस्तुत किया गया–

S No	District	Name of ULB	Plant Capacity (In TPD)	Appraisal Cost (INR in Rs. Lakhs)
1	Gorakhpur	Gorakhpur (M. Corp)	500	3157.00
2	Saharanpur	Saharanpur (M. Corp)	320	2229.00
3	Firozabad	Firozabad (M. Corp)	250	1761.00
4	Rampur	Rampur (NPP)	140	1576.00
5	Ayodhya	Ayodhya (M. Corp)	140	1886.00
6	Shahjajanpur	Shahjahanpur (M. Corp)	130	1275.00
7	Mau	Maunath Bhanjan (NPP)	130	1412.00
8	Jalaun	Orai (NPP)	90	1120.00
9	Bahraich	Bahraich (NPP)	75	976.00
10	Banda	Banda (NPP)	55	765.00
11	Kasganj	Kasganj (NPP)	50	710.00
12	Sambhal	Chandausi (NPP)	50	750.00
13	Ghazipur	Ghazipur (NPP)	50	589.00
14	Ambedkar Nagar	Tanda (NPP)	50	837.00
Total			**2030**	**19043.00 (In Laks)**
				190.43 (In Cr.)

अग्रेतर कूड़े की प्रोसेसिंग हेतु आवश्यक मशीनरी, उपकरणों एवं प्लांट क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाले वाहनों के विषयगत प्रोसेसिंग प्लांट की क्षमता के अनुसार निम्नवत् कार्य कराया जाना प्रस्तावित है:–

200 टन प्रतिदिन की क्षमता तक के प्लांटो के विषयगत अधिष्ठापित किये जाने वाले ऐसे प्लांट जिनकी क्षमता 200 टी0पी0डी0 या उससे कम है, में प्रोसेसिंग फैसेलिटी के ऑपरेटर के चयन का आधार

प्रतिटन प्रोसेसिंग फीस + विंड्रोस बेस वेस्ट–टू–कम्पोस्ट प्लांट हेतु आवश्यक मशीनरी उपकरणों/वाहनों के सम्मिलित न्यूनतम निविदा मूल्य होगा। प्लांटों के मशीनरी उपकरण व वाहनों पर आने वाले व्यय का वित्त–पोषण स्वच्छ भारत मिशन–नगरीय के ठोस अपशिष्ट प्रबंधन मद से किया जाएगा। सुविधा के संचालन हेतु नगरीय निकाय एवं संचालक के मध्य प्रथमतः 07 वर्षों का अनुबंध किया जाएगा। तत्पश्चात् प्रोसेसिंग कार्य एवं प्लांट के रख–रखाव की स्थिति देखते हुए अतिरिक्त 04 वर्षों हेतु अनुबंध निष्पादित किया जा सकेगा।

200 टन प्रतिदिन से अधिक क्षमता के प्लाटों के विषयगत अधिष्ठापित किये जाने वाले ऐसे प्लांट जिनकी क्षमता 200 टी0पी0डी0 से अधिक है, में प्रोसेसिंग फैसेलिटी के ऑपरेटर के चयन का आधार विंड्रोस बेस वेस्ट–टू–कम्पोस्ट प्लांट के संचालन हेतु प्रतिटन प्रोसेसिंग फीस हेतु न्यूनतम निविदा मूल्य होगा तथा आवश्यक मशीनरी उपकरणों/वाहनों पर आने वाले व्यय का भार संचालक द्वारा स्वयं वहन किया जाएगा। सुविधा के संचालन हेतु नगरीय निकाय एवं संचालक के मध्य प्रथमतः 11 वर्षों का अनुबंध किया जाएगा। तत्पश्चात् प्रोसेसिंग कार्य एवं प्लांट के रख–रखाव की स्थिति देखते हुए अतिरिक्त 04 वर्षों हेतु अनुबंध निष्पादित किया जा सकेगा।

निर्णय– समिति द्वारा प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान करते हुए यह निर्देश दिया गया कि नियमानुसार शासकीय स्वीकृति के उपरांत निर्माण कार्य पूर्ण कराते हुए प्रोसेसिंग प्लांट का सम्यक संचालन भी सुनिश्चित किया जाए। साथ ही यह निर्देश दिये गये कि अपर मुख्य सचिव, नगर विकास, कृपया समान क्षमता की प्रसंस्करण इकाईयों में लागत की भिन्नता के विषय में मानकीकरण के आधार पर अपने स्तर पर परीक्षण करा लें।

4– नवम् एस0एच0पी0सी0 में दिए गए निर्देशों के क्रम में प्रदेश की 57 निकायों में व्याप्त 52 लाख टन लिगेसी वेस्ट के सापेक्ष प्रथमतः 25 निकायों में लगभग 43 लाख टन लिगेसी वेस्ट के निस्तारण हेतु विस्तृत कार्ययोजना, नगर निगमों के संबंध में निकाय द्वारा तथा अन्य 20 नगर पालिकाओं के संबंध में नगर पालिकाओं द्वारा तैयार की जाने वाली कार्ययोजना हेतु कन्टूर सर्वे तथा ड्रोन मैंपिंक के कार्य हेतु आर0सी0यू0ई0एस0 द्वारा निकायों की हैंडहोल्डिग की जा रही है। जिसके क्रम में समस्त 25 निकायों की डी0पी0आर0 30 अक्टूबर 2021 तक तैयार कर जी जाएगी। उक्त 25 निकायों में लिगेसी वेस्ट के निस्तारण पर आने वाले व्यय का वित्त–पोषण, स्वच्छ भारत मिशन– नगरीय के ठोस अपशिष्ट प्रबंधन मद से किया जाएगा।

निर्णय– समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि अगामी बैठक में लिगेसी वेस्ट के निस्तारण संबंधी उक्त वर्णित निकायों की विस्तृत कार्ययोजना SLTC की संस्तुति के साथ अनुमोदन हेतु प्रस्तुत की जाए।

5– उक्त के अतिरिक्त अन्य नवीन प्रस्ताव यथा मोबाइल FSSM ऑन साइट डि–वाटरिंग वाहनों की आपूर्ति हेतु प्रस्ताव, प्लास्टिक–टू–फ्यूल प्लांटों की स्थापना हेतु प्रस्ताव, निर्माण एवं विध्वंश अपशिष्ट के निस्तारण हेतु नवीन प्लांटों की स्थापना के विषयगत प्रस्ताव पर विचार–विमर्श किया गया।

मा0 समिति द्वारा उक्त प्रस्ताव को विस्तृत कार्ययोजना तथा SLTC की संस्तुति के साथ आगामी बैठक में प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया ।

अन्त में बैठक सधन्यवाद सम्पन्न हुई।

भवदीय

(संजय कुमार सिंह यादव)
विशेष सचिव

उत्तर प्रदेश शासन
नगर विकास अनुभाग–5
संख्या–11373/नौ–5–2021–355सा/2014
लखनऊः दिनांक 29 अक्टूबर, 2021

प्रतिलिपिः–समस्त संबंधित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– संबंधित अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन ।
2– राज्य मिशन निदेशक/कार्यकारी निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन–नगरीय, उत्तर प्रदेश।
3– स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
4– निदेशक, नगरीय निकाय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5– बैठक में उपस्थित समस्त अधिकारीगण।
6– कम्प्यूटर सेल को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
7– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(संजय कुमार सिंह यादव)
विशेष सचिव